य उपखण्ड　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　कठूमर जिला अलवर

2/290/2022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　तारीख रजू.................

संतोष................ बनाम................ गोपाल वगैरा

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
.0.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित हैं। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा 1768, 1770, 1771, 1773, 1784, 1825, 1829, 2127, 2132, 2116, 2117, 2118, 2125, 2134, 2137, 2141, 2269, 2270, 2270/2626, वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, एवं तलवी नही भरने पर अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 27.10.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के ... स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी ... डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.10.20... वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
27.10.22	वकील प्रार्थी ....उपस्थित। स्थगन आदेश दिनांक........7.10.22	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:24:09 IST
Reason: SelfAttested

वम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	14/12/23 ......उपखण्ड...... उपरोक्त साविक आदेश दिनांक.......... की पालना में पत्रा. की वास्ते...... पेशी/सुनवाई दिनांक...... 19/1/24 ...... को पेश हो खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर	
	19/1/24 बजाय संरीकन पक्ष/P.O. साहब जि.प. कार्य में कार्यवाही दिनांक 24/2/24 ने पेश हो।	
	27/3/24 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य वर्जित कर रखा है। P.O. साहब जिला कार्य में है। कार्यवाही दिनांक 31/5/24 को पेश है रीडर	
	31/5/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद रजि० डाक सूचना के उपस्थित नहीं आये उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र परिशिष्ट को आज सुने जाने का निवेदन किया जिस पर बहस वकील प्रार्थी की एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना [illegible] किया गया जारी [illegible] तलब किया गया जो [illegible] उपस्थित नहीं आये। आयल [illegible] स्वामित्व के जमाबन्दी पेश की गई जो रा० मि० की गई अधिवक्ता आयल की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:24:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दियों में विवादित आराजी सायल व गैरसायल व अन्य काश्तकार की शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल बावजूद तामील अप्र प्रस्तुत के उप० नहीं आये और ना उनकी ओर से प्रार्थना-पत्र पर किसी तरह की उजरदारी एवं ऐतराज पेश किये। विवादित आराजी सायल एवं गैरसायल की शामलात खातेदारी में दर्ज होने का अनुमान किया जाता है। यदि गैरसायल ने शामलात खातेदारी की आराजी में सायल के कब्जे काश्त में बाधा असुविधा उत्पन्न करने से सायल को अपार हानि होना संभव है। गैरसायल को पाबन्द करने से उन्हें किसी तरह का नुकसान व क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अत: प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA साबित होने से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 गैरसायल ता फैसल दावा पाबन्द किया जाता है पत्रावली पर पूर्व में जारी किये आदेश दिनांक 7/10/24 को मूल [illegible] तक कायम किया जाता है। पत्रावली [illegible] मिल हाजर [illegible] के साथ सम्बंध-2 [illegible]
	[illegible] 31/5/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:24:09 IST
Reason: SelfAttested